

नगर परिषद, सीकर



क्रमांक :- १३१२।

दिनांक :- २५/१०/१९

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए लम्पान की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख



यह विलेख आज वर्ष २०१९ के माह १० के २५ वे दिन नगर परिषद सीकर (जिसे इसके बाद नगर निकाय कहकर सम्बोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री विश्व भारती संस्थान, राजस्थान सीकर, जरिये निदेशक डॉ कमल किशोर सिंखाल जाति व्यवसाय निवासी वार्ड १० सर्किं हॉउस के आगे, जयपुर रोड, सीकर (जिनको इसके बाद लीजधारक सम्बोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस बारत में जहाँ कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निवाहक, प्रबन्धक, प्रतिनिधि और मुन्त्रकिल अलेह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है। प्रीमियम शुल्क 3,19,959.00 रुपये/- विकास शुल्क 3,74,980.00 रुपये/- यह विलेख साम्यानिकत करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा सीकर का ली गई है और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड प्रदान और लीज करती है जो योजना जयपुर रोड राजस्व याम लीवड़ा के बास के खसरा संख्या 651/573 लेट्रफल 2989.97 वर्गमील में स्थित है और जो अपनी सीमा और सेंट्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नवशों में लाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबद्धों, बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन खरीदार अपने उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

1. लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर जिसे नगर निकाय के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबंदी या भूमि का किराया) के तौर पर रुपये 31,986.00 रुपये/- अदारे इकट्ठीस हजार नो रुपये/- मात्र पेशागी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि वाहे तो, एक बार नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबंदी या भूमि का किराया) की राशि जमा कराएगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।

2. एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात और विकाय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।

3. पट्टे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।

4. उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल संस्थागत (शैक्षणिक) प्रयोजन जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जाएगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जाएगा।

5. इस पट्टे विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जायें, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन निर्माण कराया जाएगा।

6. लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निवंधन और शर्तें और अन्य उपचार, यथावश्यक परिवर्तन सहित अन्तरित या उप-पट्टादार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रश्नागत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जाएगी, किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निवंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।

7. उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकूर विक्रिय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्षांतर की दर से अन्तरण फीस निर्धारित की जायेगी, परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।

8. उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या आंतरिक / बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान मृ- साजर, 1956 के अधीन मृ-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।

चूप पंजीयक
पंजीयन एवं भूदंक
सीकर (राज.)

9. यदि आंबटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आंबटन या पट्टा विलेख विधि की दुरभिसंविधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज़ के आधार पर दुर्व्यवदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आंबटन या पट्टा विलेख के निष्पादनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्नियोग सहित उसे प्रतिसंहत करेगा, जो सभी प्रकारों से बहित नगर निकास में निहित समझे जावेंगे और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारिता किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस मरम्मत विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिव्यूल्ड बैंक/सरकारी ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ.डी.आथवा नेशनल बैंक द्वारा अपेक्षित ऋणदात्री संस्थाओं के पास ऋण के लिए बंधक रखा जा सकता।

परिशिष्ट

करने का नाम **संकेत हंसन क. जागि, जयपुर सेहन सीकर**

राजस्व ग्राम **खालीवाड़ी का ग्राम**

खालीवाड़ी नम्बर

विवरण नाम राहित दोत्रफल वर्गगज/मीटर

2989.97 वर्गबाह्य

पूर्व तरता परिवम संस्थान की जीवन भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो तो 01

40°.0' बैद्ध

उत्तर इकान पुत्र गुरुताक दक्षिण

नजीर पुत्र हसन बा. बादि

तरता

मानवित्र संलग्न है।

30°.0' बैद्ध

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से :-

आज सन 20.10 के माह 10 के ०८ बजे दिन

श्री आयुक्त व समापति

नगर परिषद सीकर के निम्न की उपस्थिती

में (स्थान) में हस्ताक्षर किए :-

साक्षी :-

1. नाम **मोह. फारुक**

पुत्र

न. प. सीरुक

व्यवसाय

निवास स्थान

dmr

साक्षी

2. नाम **पुर्णमल**

पुत्र

न. प. एमल

व्यवसाय

निवास स्थान

pratipak

साक्षी

आज सन 20.10 के माह 10 के ०८ बजे दिन

श्री विश्व भारती संस्कृत राज्यालय सीकर

जरिये निदेशक डा. कुमल फिरोज सिंहपाल

की निम्न की उपस्थिती

में (स्थान) में हस्ताक्षर किए :-

साक्षी :-

1. नाम **दीनदाल रामी**

पुत्र

राजेन्द्र प्रसाद रामी

व्यवसाय

प्राइवेट नौकरी

निवास स्थान **पिपराली रोड, सीकर**

dmr

साक्षी

2. नाम **प्रतीक एष्टोलवाल**

पुत्र

पवन दुमार

व्यवसाय

प्राइवेट नौकरी

निवास स्थान **वजाब रोड, सीकर**

प्रतीक एष्टोलवाल

साक्षी



लोज धारक-द्वितीय पक्ष

pratipak

साक्षी

प्रतीक एष्टोलवाल

साक्षी

9. यदि आंवटन या पटटा विलेख के निष्पादन के प्रस्ताव पर भाषा जागृत हो कि आंवटन या पटटा विलेख विधि की दुरभिसंधि या उसके उल्लंघन किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उपर्याक किसी संन्माण सहित उसे प्रतिसंहत करेगा, जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकास में निहित समझे जायेंगे और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कानूनित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पटटा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड का सरकारी/वीवन बीमा निगम/शेड्यूल वैंक/सरकारी ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ.सी अथवा नेशनल वैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास अपने के लिए उच्चक रखा जा सकेगा।

कस्बे का नाम सर्विंट हार्स के आगे, जबपुर रोड, सीकर

राजस्व ग्राम खीचड़ो का बास

644/573

खसरा नम्बर

विस्तृत नाम सहित सोनफल वर्गगज/मीटर
2076.01 वर्गगज

परिशिष्ट

पूर्व इन्हें पश्चिम इन्हें भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो तो 02

उत्तर इन्हें दक्षिण रास्ता मानवित्र संलग्न है।

उत्तर इन्हें दक्षिण रास्ता मानवित्र संलग्न है।

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से :-

आज सन् 20.2.0 के माह .06 के 12 वें दिन

श्री आयुक्त व समापति

नगर परिषद सीकर के निम्न की उपस्थिति

में (स्थान) में हस्ताक्षर किए :-

साक्षी :-

1. नाम मोहन कामल
पुत्र कृष्ण किंजल
व्यवसाय नौकर सीकर
निवास स्थान

2. नाम योगीमल बिल्लीया
पुत्र
व्यवसाय नौकर सीकर
निवास स्थान

साक्षी

पूर्णमित्र

साक्षी

लीज धारक-द्वितीय पक्ष

आज सन् 20.2.0 के माह .06 के 12 वें दिन
श्री प्रियकृष्ण राजपाल वाराणसी सीकर
प्रोफेसर निहानु कॉलेज के निम्न की उपस्थिति
में (स्थान) में हस्ताक्षर किए :-

साक्षी :-

1. नाम दीनदयाल शर्मा
पुत्र रामेश उसाद शर्मा
व्यवसाय उद्योगी नौकरी
निवास स्थान पिपलाल बाजार सीकर

2. नाम सलीम खालीलवाल
पुत्र पवन कुमार
व्यवसाय उद्योगी नौकरी
निवास स्थान बाजार बोडी लाल

साक्षी

पूर्णमित्र वाराणसी

साक्षी

नगर परिषद, सीकर



क्रमांक :- १३५७४



প্রক্রিয়াক :— ১৩-৬-২০২০

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख